

Notice for empanelment

Gorakhpur industrial development authority invites application for empanelment of qualified and reputed architects and planner for the developmental work in GIDA.

Interested firm representatives may apply with firm details and experience before 26th August of 2019. Selected firms or representatives will present their PPT presentation before a committee.

Visit gida website www.gidagkp.org for further details.

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के विकास कार्य हेतु अर्ह एवं प्रख्यात वास्तुविद् तथा नियोजकों के पैनल में सम्मिलित करने हेतु आमंत्रित करता है।

इच्छुक फर्म/अभ्यर्थी अपने विवरण एवं अनुभव के साथ दिनांक 26-08-2019 तक आवेदन कर सकते हैं। चुने गये फर्म/अभ्यर्थी को समिति के समक्ष प्रस्तुति करनी होगी।

अन्य विस्तृत सूचना गीडा की वेबसाईट www.gidagkp.org पर देखी जा सकती है।



मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।

परिशिष्ट -15

(विनियम संख्या 8 देखें)

भवन अनुज्ञा-पत्र और पर्यवेक्षण योजना बनाने के लिए लाइसेन्सधारी तकनीकी कार्मिक की अर्हताएँ।

(1) प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिये जाने के प्रयोजनार्थ भवन अनुज्ञा-पत्र और पर्यवेक्षण के लिये विभिन्न कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु तकनीकी कार्मिक की अर्हताएं और उनकी क्षमता।

(2) वास्तुविद-

अर्हताएं- लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वास्तुविद की अर्हता होगी भारतीय वास्तुविद संस्थान की सदस्यता या ऐसी डिग्री या डिप्लोमा जो उसे ऐसी सदस्यता का मान्य बनाता हो या वास्तुविद अधिनियम, 1972 की अनुसूची 14 में उल्लिखित अर्हताएं और वास्तुविद अधिनियम, 1972 में यथा उपबन्धित वास्तुविद परिषद में पंजीकृत हों।

(एक) कोई लाइसेंसधारी वास्तुविद भवन अनुज्ञा-पत्र से सम्बन्धित कार्यों को कार्यान्वित करने में सक्षम होगा और वह निम्नलिखित को प्रस्तुत करने के लिए इकादार होगा।

(दो) भवन अनुज्ञा-पत्र सम्बन्धी सभी योजनाएँ और उनसे सम्बन्धित सूचनार्ये।

(तीन) 500 मीटर के प्लॉट और चार गंजिली ऊंचाई तक के भवनों के लिए संरचनात्मक विवरण और गणनाएँ।

(चार) सभी भवनों के लिये पर्यवेक्षण प्रमाण-पत्र

23/3/19

प्रमुख (विभाजन)
गैर, पोरबंदर